

New Encumbrance Certificate Issued to Director Construction Deptt
Ref. No. 871/2023

NON ENCUMBRANCE

सम्पत्ति अवभार प्रमाण-पत्र

अनुसूची 21 - प्रपत्र संख्या 113

आवेदन पत्र संख्या 5742/2023

प्रमाण पत्र संख्या 871/2023

चूकि श्री S. Praveen Kumar Advocate ने मेरे पास आवेदन किया है कि निम्नलिखित for M/s. Virajda Construction

सम्पत्ति के सम्बन्ध में संव्यावाहारों और अवभारों का संविवरण प्रमाण पत्र दिया जाय।

(आवेदन में दिए गए राज्य के अनुसार विवरण दे)

इसलिए मैं इसके द्वारा प्रमाणित करता हूँ कि उपरोक्त सम्पत्ति को प्रभावित करनेवाले संव्यवहारों और अवभारों के बारे में बही में और उससे सम्बन्ध अनुक्रमणियों में ता. 01/04/2020 से 01/01/2022 तक

से ता. तक तलाशी की गई और ऐसी तलाशी के बाद निम्न संव्यवहारों और अवभारों का पता चला है :-

क्रम संख्या	(क) सम्पत्ति का विवरण	विवरण की तारीख	(ख) दस्तावेज का प्रकार और मूल्य	पक्षों का नाम		दस्तावेज की प्रविष्ट के प्रति निदेश		
				निष्पादन	दावेदार	जिल्द संख्या	वर्ष	पृष्ठ

(क) दस्तावेज के अनुसार विवरण दर्ज करें :-

(ख) बंधक की दशा में ब्याज की दर और भुगतान की अवधि दर्ज करें। बशर्ते कि इसके बारे में उल्लेख हो।

(ग) पट्टे की दशा में पट्टे अवधि और वार्षिक लगान दर्ज करें।

Non Encumbrance Certificate issued to M/s Vrialki Construction
for the purpose of the project dated 20/06/2023
6/10/2023

NON ENCUMBRANCE

सम्पत्ति अवभार प्रमाण-पत्र

5791/2023

अनुसूची 21 - प्रपत्र संख्या 113

आवेदन पत्र संख्या.....

प्रमाण पत्र संख्या..... 370/2023

चूकि श्री S. Arvind Kumar अवभार ने मेरे पास आवेदन

किया है कि निम्नलिखित for Arvind Kumar Jaguly 6-06

सम्पत्ति के सम्बन्ध में संव्यावाहारों और अवभारों का संविवरण प्रमाण पत्र दिया जाय।

(आवेदन में दिए गए राज्य के अनुसार विवरण दे)

इसलिए मैं इसके द्वारा प्रमाणित करता हूँ कि उपरोक्त सम्पत्ति को प्रभावित करनेवाले संव्यवहारों और अवभारों के बारे में बही में और उससे सम्बन्ध अनुक्रमणियों में ता. 20/06/2023 तक

से ता. तक तलाशी की गई और ऐसी

तलाशी के बाद निम्न संव्यवहारों और अवभारों का पता चला है :-

क्रम संख्या	(क) सम्पत्ति का विवरण	विवरण की तारीख	(ख) दस्तावेज का प्रकार और मूल्य	पक्षों का नाम		दस्तावेज की प्रविष्टि के प्रति निदेश		
				निष्पादन	दावेदार	जिल्द संख्या	वर्ष	पृष्ठ

(क) दस्तावेज के अनुसार विवरण दर्ज करें :-

(ख) बंधक की दशा में ब्याज की दर और शुगतान की अवधि दर्ज करें। बशर्ते कि इसके बारे में उल्लेख हो।

(ग) पट्टे की दशा में पट्टे अवधि और वार्षिक लगान दर्ज करें।

मैं यह भी प्रमाणित करता हूँ कि उपरोक्त संव्यवहारों को छोड़कर उक्त सम्पत्ति को प्रभावित करने वाले किसी अन्य संव्यवहारों और अवमारों का पता नहीं चला है।

निम्न व्यक्ति ने तलाशी की प्रमाण पत्र तैयार किया।

हस्ताक्षर
[Signature]

पदनाम-

Clear

तलाशी का सत्यापन ऋणभार प्रमाण का जाँच निम्न व्यक्ति ने की

हस्ताक्षर
[Signature]

पदनाम-

Clear

प्रमाणित किया जाता है कि जिला अवर
निबंधन कार्यालय परिसर में परिसर
में आनुक्रमिक (N) (N) प्रमाण पत्र
दिनांक: 20/10 से 6/10/2023 तक की
प्रमाण पत्र (अवधारण) प्रमाण पत्र N.0
518/07) 2121 तक N वाली करने के
जुला जिला अवर निबंधन
काल 15 के लिए प्रमाण पत्र 178 से
156 फी. में, रकम 5. 3/2 5/6
जमीन 215 कापी तक के आधिकारिक
प्रमाण पत्र (N) प्रमाण पत्र है।
अन्य आधिकारिक प्रमाण पत्र के लिए
जात करी के प्रमाण पत्र प्रमाण पत्र
निबंधन कार्यालय

[Signature]

तारीख 6/10/2023

कार्यालय



निबंधन पदाधिकारी का हस्ताक्षर

[Signature]
6/10/23
जिला अवर निबंधन
कार्यालय, जलंधर

टिप्पणी :- इस प्रमाण पत्र में और संव्यवहारों और अवधारण दिखाये गये है। वे आवेदक द्वारा यथा प्रमाणित विवरण के अनुसार पाये गये। यदि आवेदक द्वारा दिए गए विवरण देकर नहीं सम्पत्तियों को निबंधित दस्तावेजों में दिखाया गया हो तो वैसे दस्तावेजों से प्रमाणित संव्यवहार ट्रन्जेशन इस प्रमाण पत्र में शामिल न किए जायेंगे।

(2) निबंधन अधिनियम की धारा 57 के अधीन जो व्यक्ति बहियों और अनुक्रमणियों (इन्डेक्स) को प्रविष्टियाँ देखना चाहते हों, अथवा जो इनकी प्रतिलिपि लेना चाहते हो अथवा उन्हें विनिर्विष्ट सपत्तियों के अवधारणों के प्रमाण पत्रों की जरूरत हो तो उन्हें स्वयं तलाशी करनी होगी।

विहित फीस की भुगतान करने पर बहियाँ और अनुक्रमणियों की उनके सामने रख दी जायगी।

(क) किन्तु चूंकि वर्तमान मामले में आवेदक स्वयं तलाशी नहीं की है। इसलिए कार्यालय न अपेक्षित तलाशी अपने भर तक सावधानी से की है विभाग प्रमाण पत्र में दिए गए तलाशी परिणाम को किसी भूल के लिए भी किसी तरह जिम्मेवार नहीं होगा।

(ख) और चूंकि वर्तमान मामले में आवेदक ने अपेक्षित तलाशी स्वयं की है और चूंकि उसके द्वारा दूँडे गये संव्यवहार और अवधारणों की सत्यापन के बाद प्रमाण पत्र में दिया गया है। इसलिए विभाग द्वारा दूँडे गये ऐसे संव्यवहार और अवधारणों की छूट के लिए किसी भी तरह जिम्मेवार न होगा जिसमें उक्त संपत्ति पर आगार पड़ ता हो।